



सत्यमेव जयते



IndianOil

## समझौता ज्ञापन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

और

भारत सरकार

(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)

के बीच

2024-25

के लिए

मुख्य प्रतिलिपि

(14.08.2024)

**सरकारी समझौता-ज्ञापन मापदंड और लक्ष्य (वर्ष 2024-25)**

क्र.सं.	मापदंड का नाम	यूनिट	अधिमान	लक्ष्य 2024-25
1	कच्चा तेल श्रुपट	एमएमटी	20	94.389
2	ईबीपी के अंतर्गत इथेनॉल सन्मिश्रण %	%	8	14.5
3	आरओ में सीपनजी स्टेशन चालू करना	संख्या	4	350
4	बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों या ईवी चार्जिंग स्टेशनों को चालू करना	संख्या	4	4550
5	पूँजीगत व्यय	रुपए करोड़ में	10	31410
6	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	3	7.08
7	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	%	3	18.64
8	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	%	12	183.49
9	टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से निर्दिष्ट समय के भीतर माल और सेवाओं के चालान की स्विकृति /अस्वीकृति *	%	5	100
10	मंजूर प्रोक्चोरमेंट प्लान के अनुसार जेम से खरीदी करना	%	2	100
11	पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले अनुसंधान/नवाचार पहलों पर खर्च में वृद्धि	%	5	10
12	शेयरधारकों को कुल प्रतिलाभ	%	15	100
13	बाजार बिक्री मात्रा की प्राप्ति	एमएमटी	9	109.367
		<b>कुल</b>	<b>100</b>	

\* मूल्यांकन DPE OM क्रमांक M-03/0003/2020-DPE (MoU) दिनांक 22.7.2024 के आधार पर किया जाएगा।

**टिप्पण:**

1. प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई दृष्टि को भी तुलना के लिए मध्यांकन किया गया है।
2. पूँजीगत व्यय लक्ष्य - प्रशासनिक मंत्रालय/सीपीएसई द्वारा प्रदान की गई दृष्टि और बजट आंकड़ों के आधार पर
3. अनुसंधान/नवाचार पहलों पर खर्च के लक्ष्य की प्राप्ति की पुष्टि वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर की जानी चाहिए।
4. टीआरएस मापकों को बीएसई 500 सूची के साथ मध्यांकित किया जाएगा और मध्यांकित श्रेणी के अनुसार प्राप्ति के अनुसार प्राप्ति के लिए समानुपातिक अंकन दिया जाएगा।
5. पैमाने पर 50% से 100% लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समानुपातिक अंक। (टीआरएस पैमाने को छोड़ कर)
6. लक्ष्य के 50% से कम प्राप्ति के लिए कोई अंक नहीं।

**सरकारी समझौता-ज्ञापन 2024-25 के लिए अनुपालन मापदंड**

क्र.सं.	मापदंड	अंक	स्रोत/ सत्यापन
1.	समय-समय पर डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय निगम नियंत्रण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एल ओ डी आर) विनियम) के प्रावधानों का अनुपालन जैसे: (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) बोर्ड समितियां (लेखा-परीक्षा समिति आदि) (iii) बोर्ड की बैठकें आयोजित करना (iv) संबंधित पार्टी लेनदेन (v) खुलासे और पारदर्शिता	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
2.	(i) वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद - 25% #	-3	सीएजी/ सांविधिक/ सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट(टी) के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3.	(ii) वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में अ.जा./अ.ज.जा. एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद- 4% #	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4.	(iii) वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में महिला एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद- 3% #	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
5.	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्य)	-1	प्रशासनिक मंत्रालय

# मूल्यांकन DPE OM क्रमांक M-03/0003/2020-DPE (MoU) दिनांक 19.7.2024 के आधार पर किया जाएगा।

वर्ष 2024-25 का समझौता-ज्ञापन पर एतदद्वारा सहमति दी जाती है और अगस्त 2024 की 14 तारीख को हस्ताक्षर किए जाते हैं।

  
श्रीकांत माधव वैद्य

अध्यक्ष  
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
दिनांक:

  
पंकज जैन

सचिव, भारत सरकार  
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
दिनांक: